


Corrigendum

**NOTICE FOR EMPANELMENT OF EXTERNAL AGENCIES FOR
EVALUATION STUDIES IN THE STATE OF UTTARAKHAND**

RFQ 1617/1 -SPC/ES/2017

DTAED 24 NOVEMBER, 2017

The corrigendum in respect to notification of letter No. RFQ 1534/SPC/ES/2017 dated November 10, 2017 for empanelment of external agencies for conducting the Evaluation studies are uploaded. Interested firms/organization can access minutes of Pre-Bid meeting date November 22, 2017 from the Website : spc.uk.gov.in.


Additional Secretary,
Planning Department,
Govt. of Uttarakhand,
Dehradun

मूल्यांकन अध्ययनों के लिये वाह्य संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने हेतु Pre-bid meeting
दिनांक 22.11.2017 का कार्यवृत्त

राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन हेतु इच्छुक संस्थाओं/फर्मों से तकनीकी निविदा के लिये Request for qualification हेतु Pre-Bid meeting में DRES Dehradun के श्री नितिन जगताप, Sutra Consulting के डॉ० अभिषेक सामल, PWC के श्री चिन्मय पन्त, Karvy Data Management के श्री सर्वेश पाण्डेय, AMS Consultants के श्री एल०एम०सन्वाल तथा श्री डी०सी०वर्मा, संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग तथा डॉ० बसन्त जोशी, अमर शोध अधिकारी, राज्य योजना आयोग द्वारा प्रतिभाग किया गया।

Request for qualification के अन्तर्गत तकनीकी निविदा के लिये वाह्य संस्थाओं द्वारा बिन्दुवार की गई पूछा तथा सुझाव दिये गये जो निम्नवत् है-

क्र० सं०	पैरा	पूछा बिन्दु	सुझाव	कार्यवाही
1	2.2.2(2) eligibility criteria	Documentary evidences: copy of work order/ agreement and completion certificate from its clients	Sutra तथा AMS Consultants, द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्र सरकार अथवा कई संस्थानों द्वारा सामान्यतः completion certificate नहीं दिये जाते है अतः इसके स्थान पर undertaking with auditors certificate को सम्मिलित किया जाय।	Undertaking with auditors certificate को इस प्रतिबन्ध के साथ सहमति दी गई कि सस्थायें work order /agreement की प्रमाणित प्रति के साथ work order and final payment के प्रमाण सहित उपलब्ध करायेंगी।
2	2.2.2(3) eligibility criteria	The bidder must have a minimum average annual turnover of at least Rs. 2 crore during last three years.	DRES Dehradun द्वारा अनुरोध किया गया कि average annual turnover Rs. 2 crore during last three years के स्थान पर Rs. 1.5 crore किये जाने से उत्तराखण्ड की एजेन्सियों को सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ भी यह भी अनुरोध किया गया कि वर्ष 2016-17 की balance sheet के स्थान पर unaudited balance sheet जो C.A से प्रमाणित हो, को सम्मिलित किया जायें।	average annual turnover Rs. 2 crore during last three years के स्थान पर Rs. 1.5 crore किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। वर्ष 2016-17 की balance sheet के सम्बन्ध में audited balance sheet ही मान्य होगी।
3	3.1(2) Evaluation of Technical Proposal	Completed two similar project/ Schemes/Programmes in last five years	PWC संस्था द्वारा बिन्दु संख्या-3.1(2) में उल्लिखित previous experience अन्तर्गत (Completed two similar project/ Schemes/Programmes in last five years) को, पैरा 2.2.2(2) eligibility criteria में उल्लिखित, At least 5 years similar assignment in hill state in last 5 years out of which 2 similar assignment should in Uttarakhand के समान किये जाने का अनुरोध किया गया।	पैरा 2.2.2(2) eligibility criteria तथा पैरा 3.1(2) में उल्लिखित previous experience को एक समान रखा जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि पैरा 2.2.2(2) eligibility criteria में उल्लिखित,and should have completed at least 5 years similar assignment in hill state in last 5 years out of which 2 similar assignment should in Uttarakhand को हटा दिया जाय।



4	3.1(2) eligibility criteria	Shall be awarded additional five marks.	Sutra Consulting संस्था द्वारा criteria में 'Additional' शब्द की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत इसे हटाये जाने का सुझाव दिया गया।	'Additional' शब्द हटाये जाने का निर्णय लिया गया।
5	-	-	PWC संस्था द्वारा Proposal due date/ Receiving RFQ को बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।	Proposal due date/ Receiving RFQ की तिथि 15.12.2017 के अपराह्न 1:00 बजे तक तथा प्राप्त proposal को खोले जाने का समय इसी तिथि में अपराह्न 3:00 बजे निर्धारित किया गया।
6	-	-	PWC संस्था द्वारा Survey Consortium पर सहमति दिये जाने का अनुरोध किया गया।	Survey Consortium पर सहमति व्यक्त की गई।
7	-	-	PWC संस्था द्वारा CV Format को World bank format में दिये जाने पर सहमति चाही गई।	CV Format को RFQ के Appendix-6 में सम्मिलित किया जायेगा।

(डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव

पत्रांक: 1617 62/रा०यो०आ०/वि०मू०/2008 दिनांक: 24 नवम्बर, 2017
प्रतिलिपि:-

1. संस्थाओं के उपस्थित प्रतिनिधि।
2. संयुक्त निदेशक(का०), राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।

(डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव